न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 1267/2020 तारीख रजू:– 16.07.2020

जीसीएमएस नं0 2020/00214

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. सन्तोष पुत्र सोनजी	जाति कोली निवासी खेड़ीहैवत
2. सन्तरा पुत्री सोनजी	
3. ओमप्रकाश पुत्र सोनजी	तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ,
4. रामवतार पुत्र रतनलाल	
5. लच्छो पत्नि रतनलाल	जिला करौली राजस्थान ———— वादीगण

बनाम

1. गोविन्द पुत्र कल्याण	जाति जाट, निवासी खेडीहैवत तहसील हिण्डौन
2. नन्दराम पुत्र कल्याण	हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

3. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1.श्री पी.एल. गोयल एडवोकेट वादीगण

निर्णय

दिनांक :–09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण ने दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 286 रकबा 0.17 है0, 1339 रकबा 0.45 है0, 1346 रकबा 0.56 है0, 1473 रकबा 0.60 है0, 1663 रकबा 0.76 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 ग्राम खैडीहैवत तहत तहसील हिण्डौन स्थित है जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात है।

वाद पत्र के मद नं. 2 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 1 में वादीगण 1 व 2 हिस्सा 1/2 वहिस्सा वरावर तथा वादीगण 3 ता 5 हिस्सा 1/2 वहिस्सा बराबर के संयुक्त खातेदार व कास्तकार है और उपरोक्त आराजीयात पर संयुक्त रुप से काबिज व दखिल होकर कास्त करते चले आ रहे हे जिस्से प्रतिवादी न० 1 व 2 या अनय किसी व्यक्ति का कोई वास्ता किसी प्रकार का नही है।

वाद पत्र के मद नं. 3 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी नं० 1 व 2 लडाकू व वदमास किस्म के मार्शल कौम के व्यक्ति है जो गरीब कास्तकारो कि भूमि पर जबरण कब्जा कर उसे हडपने के प्रयास में रहते है तथा उनकी नियत वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी खसरा नं० 1339 रकबा 0.45 है0 को हडपने की रही है जिसके लिए प्रतिवादी नं० 1 व 2 आये दिन वादीगण को हैरान व परेशान करते रहते है।

वाद पत्र के मद नं. 4 में दर्ज किया है कि बाका दिनाँक 02.07.2020 को वादीगण अपनी आराजीयात मुतजिका मद नं० 1 वाद पत्र पर बुबाई हेतु दिन के करीब 10 बजे के आस पास गये तो वहाँ पर प्रतिवादी नं० 1 व 2 अपने हमराहीयों सहित मौके पर आ गये और वादीगण से कहा कि खसरा न० 1339 की भूमि पर जुताई बुबाई मत करना इस पर हम बुबाई करेगें तो वादीगण ने कहा कि ये जमीन तो हमारे खातेदारी व कब्जे कास्त की है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नही है तो इतना सुनते ही प्रतिवादीगण एकदम नाराज हो गये और वादीगण को यह ऐलानिया धमकी दी कि अगर तुमने इस जमीन पर बुबाइ कि तो हम तुम्हारे हाथ पैर तोड देगें तुम्हें भूमि से जबरण लठठ के बल पर बेदखल कर भूमि पर कब्जा कर लेगें। भूमि को नाकाबिल कास्त बना देंगें। प्रतिवादीगण समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं है, इसलिए दावा दायर करना आवश्यक हुआ।

वाद पत्र के मद नं. 5 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 02.07.2020 को प्रतिवादीगण द्वारा मुतजिका मद नं० 4 वाद पत्र में वर्णित धमकी

वादीगण को वमुकाम कोली ग्राम खेडीहैवत देने से अन्दर हदूद आराजी अदालत वाला पैदा हुई। दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 6 में दर्ज किया है कि दावा हाजा राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 188 हत विल मुक्ता न्याय शुल्क तीन रुपये पर पेश है।

वाद पत्र के मद नं. 7 में दर्ज किया है कि बलिहाज मालियत सकूनत फरीकेन व पैदा होने विनाय दावा श्रीमान जी को उक्त दावा को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं. 8 अ में दर्ज किया है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वावत् स्थायी निषेधाज्ञा डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को इस अम्र कि स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वह स्वय या किसी अन्य के द्वारा वादीगण की खातेदारी व कब्जे कास्त कि भूमि खसरा न० 1339 रकबा 45 ऐ० स्थित ग्राम खेडीहैवत तहत तहसील हिण्डौन में वादीगण के कब्जे कास्त में कोई मजामहत मदाखलत नही करे तथा वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नही करें और ना किसी अन्य से करावे और ऐसा कोइ कार्य नही करे, जिससे वादीगण के उपरोकत आराजी में उनके हक हकूको को कोइ क्षति किसी प्रकार की पहुँचे। वादीगण को उकत भूमि का शातिपूर्वक उपभोग करने देवें।

वाद पत्र के मद नं. 8 ब में दर्ज किया है कि अन्य दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुफीद वादीगण साबित हो वह भी अता फरमाई जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 10.03.2025 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश पारित किये गये।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 पेश की है।

वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। जिस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया

गया। वकील वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.45 है0, 1346 रकबा 0.56 है0, 1473 रकबा 0.60 है0, 1663 रकबा 0.76 है0, 286 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन की खातेदारी ओमप्रकाश पुत्र रतनलाल हि0 1/6, रामअवतार पुत्र रतनलाल हि0 1/6, लच्छो पत्नि स्व0 रतनलाल हि0 1/6, सन्तरा पुत्री सोनजी हि0 1/4, सन्तोष पुत्र सोनजी हि0 1/4 जाति कोली सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.45 है0, 1346 रकबा 0.56 है0, 1473 रकबा 0.60 है0, 1663 रकबा 0.76 है0, 286 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 2.54 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ के वादीगण रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। प्रतिवादी सं01 व 2 के द्वारा वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ के कब्जे काश्त में मजाहमत मदाखलत पैदा की जाना वाद पत्र में अंकित किया है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से उन्हें कोई क्षति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है। बल्कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञाा से पाबन्द नहीं किये जाने पर वादीगण के हक, हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1339 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम खेडीहैवत तहसील सूरौठ में वादीगण के कब्जेकाश्त में कोई मजाहमत, मदाखलत नहीं करें तथा वादीगण को उक्त भूमि से जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें और ऐसा कोई कार्य नहीं करें, जिससे वादीगण को उक्त आराजीयात में उनके हक हकूकों को कोई क्षति किसी प्रकार की पहुंचे।

वादीगण को उक्त भूमि को शान्तिपूर्वक उपभोग करने देवें। उपरोक्तानुसार पर्चा डिकी जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली